न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – , तहसीलदार, श्री करणपुर

प्रकरण संख्या – 87/2012

अनवान – चन्द्रकला पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री मनीराम वगैरा बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – मनीराम पुत्र रामजस जाति ब्राहम्ण निवासी नग्गी, तहसील श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 05/04/2023

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थीया चन्द्रकला पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी निवासी लक्ष्मीनगर, गली नं. 2 श्री गंगानगर, तहसील व जिला श्री गंगानगर व सन्तोष पत्नी सतीश कुमार पुत्री मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी नग्गी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता ने अपने नाम की भूमि की वसीयत प्रार्थीगण के हक में की थी, जिसके अनुसार प्रार्थीयान नामान्तरण दर्ज करवाना चाहती हैं। प्रार्थीया द्वारा नोटेरी से प्रमाणित वसीयत व मृत्यु प्रमाणपत्र जिसके अनुसार मृत्यु दिनांक 09.10.2012 को हुई है, पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता मनीराम पुत्र रामजस जाति ब्राहम्ण निवासी नग्गी, तहसील श्री करणपुर ने चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 के खाता सं. 95/81 में मु.नं. 15 में 4.805 हैक्ट. भूमि में से 1/8 हिस्सा तथा मु.नं. 89 के कुल रकबा में से 2.326 हैक्ट. व 0.859 हैक्ट. कुल 3.185 हैक्ट. भूमि व चक 15 एस के खा.सं. 102 के मु.नं. 109 की 3.415 हैक्ट. व मु.नं. 140 के 6.200 हैक्ट. भूमि की वसीयत अपनी पुत्रीयों चन्द्रकला पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री मनीराम व सन्तोष पत्नी सतीश कुमार पुत्री मनीराम के हक में करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत दिनांक 06.11.2007 को लिखवाई गई है, जो नोटेरी से प्रमाणित है।

पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 68 में मु.नं. 15 में 4.805 हैक्ट. भूमि में से 1/8 हिस्सा तथा खा.सं. 69 में मु.नं. 89 में 3.185 हैक्ट. भूमि व चक 15 एस की जमाबन्दी 2079–82 के खा.सं. 157 के मु.नं. 109, 140 की भूमि मनीराम पुत्र रामजस जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से खा.सं. 68 की भूमि पैतृक व शेष भूमि स्वः अर्जित है, खातेदारी है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, कब्जा वसीयत अनुसार है। रकबा रहन, बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक राजस्व/व.ई./1859 दिनांक 30.10.2012 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 02.11.2012 के अंक में प्रकाशित हुई।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संख्या – 87/2012
अनवान– चन्द्रकला पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्री मनीराम वगैरा बनाम सरकाराआम।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद दिनांक 20.11.2012 को तारा चन्द त्र मनीराम, बजरंग लाल पुत्र तारा चन्द जाति ब्राह्मण निवासी रामपुरा न्यौला, तहसील तगढ ने जरिये वकील एतराज पेश किया कि वसीयतशुदा चक 34 एच व 15 एस की मि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर द्वारा प्र.सं. 94/2012 अनवान जरंगलाल बनाम ताराचन्द अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में स्थगन आदेश जारी किया गया , अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जाये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री रणपुर में विचाराधीन प्रकरण दिनांक 12.02.2014 को खारिज हो गया। उक्त भूमि के म्बन्ध में न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्री करणपुर में विचाराधीन प्र.सं. 13/14 कुशलाराम बनाम मनीराम में स्थगन आदेश था, जिसमें दिनांक 11.02.2023 को आपसी सहमति होने के कारण प्रकरण नोट प्रेस कर दिया गया।

वसीयत में दर्ज गवाह रघुवीरसिंह पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी नग्गी ने शपथपत्र दिया कि वसीयतकर्त्ता द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया व मेरे द्वारा वसीयत पर गवाह की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये थे। एक अन्य गवाह वीरबलराम पुत्र चन्दूराम जाति मेघवाल की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। अरायजनवीस जिसने वसीयत लिखी थी व नोटेरी पब्लिक दोनो ने भी शपथपत्र पेश किये हैं कि वसीयत हमारे द्वारा लिखी जाकर प्रमाणित की गई थी एवं दर्ज रजिस्टर किया गया था।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार कोई विवाद स्थगन नहीं है व भूमि वसीयतकर्त्ता के नाम ही है। वसीयत के गवाहान ने उपस्थित आकर बयान/शपथ पत्र पेश किया कि वसीयत उनके समक्ष हुई व वसीयत सत्य है एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि वसीयतकर्त्ता के नाम जमाबन्दी में दर्ज भूमि का यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो एवं रहन हो तो रहन मुक्त होने पर वसीयत के अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) – श्रीकरनपुर

दि. – 27/4/23

क्रमांक – 1776

मूल ही पटवारी हल्का के गुलेवाला/14 EE को नियमानुसार कार्यवाही प्रेषित है।

तहसीलदार (भू अ)
श्रीकरणपुर

Scanned with OKEN Scanner